न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –66/2016 जिला सीकर

हरफूल पुत्र स्व. देवाराम, जाति माली, निवासी वार्ड नं. 18, नीमकाथाना छावनी, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।

अपीलान्ट

बनाम

1. रामेश्वर
2. कैलाश,
3. मानसिंह
4. बाबू लाल
   पुत्रान स्वर्गीय रूडमल, समस्त जाति माली, निवासी वार्ड नं. 18, नीमकाथाना छावनी, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।
5. लाली पुत्री स्व. रूडमल पत्नी रामनिवास सैनी, जाति माली, निवासी बागोली तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुंनू ।
6. कमला दवी पुत्री स्व. रूडमल पत्नी स्व. सागरमल सैनी, जाति माली, निवासी मौहल्ला धोबियों की गली खण्डेला, जिला सीकर ।
7. गीता देवी पुत्री स्व. रूडमल पत्नी रामनिवास जाति माली, निवासी हीरामोती सिनेमा के पीछे, धोली कोठी कोटपूतली, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर ।
8. मैना देवी पुत्र स्व. रूडमल पत्नी सुरेश कुमार सैनी, जाति माली, निवासी ढाणी नवोडी तन ग्रम चला तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।
9. तोता देवी पुत्री स्व.रूडमल पत्नी सीताराम सैनी जाति माली, निवासी ढाणी नवोडी तन चला , तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।
10. मनफूल पुत्र महादेव, जाति माली, निवासी वार्ड नं. 10 नीमकाथाना छावनी, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।
11. जडाव पत्नी रामपाल ढिलण, जाति जाट निवासी ढाणी पानसिंह तन नीमकाथाना, जिला सीकर ।
12. सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक
13. नगर पालिका नीमकाथाना जिला सीकर जरिये अधिशाषी अधिकारी
14. राज. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा अति. जिला कलक्टर, सीकर दिनांक 20.6.2016

उपस्थित–

1. वकील अपीलार्थी श्री बालूराम वर्मा
2. वकील रेस्पोडेन्ट श्री श्याम बाबू पारीक

निर्णय

दिनांक –02.01.2018

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति. जिला कलक्टर सीकर के निर्णय दिनांक 20.6.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम नीमकाथाना की तन, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 1351, 1352 व 1353 कुल किता 3 कुल रकबा 6 बीघा (1.52 है.)

का खातेदार महादेव वल्द मंगला माली था जिसके फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 764 दिनांक 20.12.1978 को तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा रूडमल व मनफूल पुत्रान महादेव के नाम स्वीकार किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट हरफूल पुत्र देवाराम माली द्वारा अपील न्यायालय अति. जिला कलक्टर सीकर के समक्ष दिनांक 4.8.2011 को मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई जिसे अति. जिला कलक्टर सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.6.2016 द्वारा पक्षकारों के मध्य विवाद स्वत्व के गम्भीर विधिक प्रश्नों का हल नियमित राजस्व वाद से ही सम्भव है और जो कि स्वयं अपीलान्ट की पहल पर विचाराधीन है । ऐसी स्थिति में विगत 38 वर्ष से अधिकार अभिलेख में निरन्तर दर्ज चली आ रही प्रविष्टि को नामांतरकरण की अपील के माध्यम से निरस्त करना किसी दृष्टि से उचित नहीं होने से चुनौतिग्रस्त नामांतरकरण को दर्ज करने में कोई प्रकियात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं होना मानते हुये अपीलान्ट की अपील खारिज की है । अति. जिला कलक्टर सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 20.6.2016 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत कर स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अति. जिला कलक्टर सीकर दिनांक 20.6.2016 एवं प्रश्नगत नामांतरकरण खारिज करते हुये मृतक खातेदार महादेव की विरासत के नामांतरकरण में अपीलान्ट का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की गई ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार महादेव के तीन पुत्र अपीलान्ट हरफूल के पिता देवाराम, रेस्पोंडेन्ट 1 से 9 के पिता रूडमल व रेस्पोंडेन्ट संख्या 10 मनफूल थे । अपीलान्ट हरफूल के पिता देवाराम अनपढ थे ओर खेतीबाडी का कार्य करते थे जिसका फायदा उठाकर रूडमल व मनफूल ने गुपचुप अपने नाम प्रश्नगत नामांतरकरण तस्दीक करवा लिया । प्रश्नगत नामांतरकरण की जानकारी प्रारम्भ से अपीलान्ट को नहीं थी और जानकारी होने पर दिनांक 3.8.2011 को जिला कलक्टर सीकर के समक्ष पेश की जिस पर आदेश दिनांक 30.8.2012 द्वारा देरी को क्षमा कर अन्दर अवधि शुमार की जाकर कालान्तर में सुनवाई हेतु अति. जिला कलक्टर सीकर को स्थानान्तरित की गई जिनके द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.6.2016 द्वारा अपील को खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि प्रश्नगत नामांतरकरण पर आई.एल.आर. ने नोट अंकित किया था कि पंचायत विरासत की जॉच कर निर्णय करें , लेकिन मृतक खातेदार महादेव के वारिसान की जॉच किये बिना ही तहसीलदार ने प्रश्नगत नामांतरकरण देवाराम को छोडते हुये रूडमल व मनफूल पुत्रान महादेव के नाम स्वीकार कर दिया । तहसीलदार व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष महादेव का देवाराम पुत्र होने का पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य सबूत था । अपीलान्ट मृतक खातेदार महादेव का जायन्दा पुत्र होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में प्रथम श्रेणी का वारिस है जिसके अधिकार विलम्ब के आधार पर समाप्त नहीं किये जा सकते । अधीनस्थ न्यायालय ने विधिविरूद्ध नामांतरकरण के खिलाफ अपीलान्ट की अपील को प्रकरण के महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरन्दाज करते हुये खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश व प्रश्नगत नामांतरकरण निरस्त किये जावे तथा मृतक खातेदार महादेव के वारिसान की विधिवत जॉच कर पुनः नामांतरकरण निर्णित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार नीमकाथाना को रिमाण्ड किया जावे ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट हरफूल व उसके पिता देवाराम प्रश्नगत नामांतरकरण में पक्षकार नहीं थे इसलिये अपीलान्ट को प्रश्नगत नामांतरकरण के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने का अधिकार नहीं था । उनका कहना था कि अपीलान्ट मृतक खातेदार के वैध विवाह बंधन से उत्पन्न संतान नहीं है अपितु नाता की गई पत्नी की उसके पूर्व पति से उत्पन्न संतान (गेलड) है जिसको मृतक खातेदार महादेव की सम्पत्ति में कानूनी रूप से कोई हक प्राप्त नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नामांतरकरण के 38 वर्ष बाद निराशाजनक विलम्ब से अपील प्रस्तुत की थी जिसमें अपीलान्ट के हक हकूकों का निर्धारण किया जाना विधिनुकूल नहीं है । अपीलान्ट द्वारा उठाये गये प्रश्नों का निर्धारण नियमित राजस्व वाद से सम्भव है । नामांतरकरण की कार्यवाही मात्र भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों की एक मात्र प्रक्रिया है जिसमे पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं होता । अपीलान्ट द्वारा एक नियमित वाद घोषणा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना में दायर किया हुआ है, जो विचाराधीन है तथा इसमें ही अपीलान्ट के अधिकारों का निर्धारण होना है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये पक्षकारों के विवाद स्वत्व के गम्भीर विधिक प्रश्नों का हल नियमित राजस्व वाद में ही होना एवं 38 वर्षों से अधिकार अभिलेख में निरन्तर दर्ज चली आ रही प्रविष्टि को नामांतरकरण की अपील के माध्यम से निरस्त करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं मानते हुये अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलान्ट की अपील खारिज की है, जो उचित एवं विधिसम्यक है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में विवाद मृतक खातेदार महादेव की विरासत का है । तहसीलदार ने महादेव की विरासत का प्रश्नगत नामांतकरण रूडमल व मनफूल पुत्रान महादेव के नाम स्वीकार किया है जबकि अपीलान्ट हरफूल उनके पिता देवाराम को मृतक खातेदार महादेव का पुत्र होने के आधार पर महादेव की भूमि में हिस्सा चाहता हैं । अपीलान्ट हरफूल द्वारा एक दावा बाबत घोषणा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना के समक्ष पेश किया हुआ है जिसमें अपीलान्ट के हक हकूकों का निर्धारण होना है । चूंकि नामांतरकरण की कार्यवाही भू राजस्व की देयता के लिये राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों की एक मात्र प्रक्रिया है जिससे पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं होता । अधीनस्थ न्यायालय अति. कलक्टर सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.6.2016 द्वारा पक्षकारों के मध्य विवाद स्वत्व के गम्भीर विधिक प्रश्न से संबंधित होने से उनका हल नियमित राजस्व वाद से ही सम्भव होना ओर जो कि स्वयं अपीलान्ट की पहल पर विचाराधीन है । विगत 38 वर्ष से अधिकार अभिलेख में निरन्तर दर्ज चली आ रही प्रविष्टि को नामांतरकरण की अपील के माध्यम से निरस्त करना किसी दृष्टि से उचित नहीं होना मानते हुये तथा चुनौतिग्रस्त नामांतरकरण को दर्ज करने में कोई प्रक्रियात्मक एवं विधिक त्रुटि होना परिलक्षित नहीं होने से अपीलांट की अपील अस्वीकार की है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अपीलान्ट के हक हकूकों का निर्धारण उसके द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद में ही होगा । अपीलाधीन आदेश अति. कलक्टर सीकर दिनांक 20.6.2016 उचित एवं विधिसम्यक है तथा इसमें हस्तक्षेप किये जाने का

कोई विधिक कारण प्रतीत नहीं होता । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर